

पटटानामा कृषि भूमि

वार्षिक लगान	रूपये
स्टाम्प	रूपये
स्टाम्प क्रमांक दिनांक	
स्टाम्प की संख्या	
यह पटटा नामा आज दिनांक ----- को श्री/श्रीमती ----- पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा----- आयु वर्ष ----- निवासी ----- तहसील ----- जिला ----- राज्य----- (प्रथम पक्ष)	
श्री/श्रीमती ----- पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा ----- आयु वर्ष ----- निवासी ----- तहसील ----- जिला ----- राज्य----- (द्वितीय पक्ष) के बीच निष्पादित किया गया है ।	

कृषि भूमि खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी— कनाल— मरला/बिघा— बिस्वा
का— कुल हिस्सा क्षेत्रफल — कनाल— मरला/बिघा— बिस्वा— वर्ग गज— वर्गमीटर
स्थित गांव/शहर— हदबस्त न0— तहसील— जिला— जमाबन्दी वर्ष -----
— कनाल/बिघा— मरला/बिस्वा— स्थित तहसील ----- जिला
— जो अनुसूची मे दर्शाया गया है, जिसका मैं मालिक व काबिज हूं । जिस पर किसी प्रकार का
कोई भार नहीं है । अनुसूची मे दर्शाई गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी
अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ । संबंधित भूमि किसी नीलामी व कुर्की आदि मे
शामिल नहीं है । संबंधित भूमि को आज से पहले किसी प्रकार से रहन—बैय—हिब्बा व अन्य तरीके पर
हस्तान्तरित नहीं किया गया है । भूमि को पटटा पर देने की बावत किसी प्रकार की कोई रुकावट किसी
विभाग या किसी न्यायालय की नहीं है । उक्त कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा दिनांक ----- से
बतौर पटटेदार राशि----- रु0 प्रति किला पर बतौर किराये के रूप मे देनी स्वीकार की है
। जिसकी बावत किरायानामा व बटाईनामा दिनांक ----- को किया गया है । जिसका पटटानामा
निष्पादित करना प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उचित समझते है । इसलिए अब प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उक्त
पटटानामा दिनांक ----- तक के लिये निष्पादित करते है कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त राशि
----- रु0 प्रति किला वार्षिक किराये पर द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों पर दी है:-

1. यह है कि मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष का दिनांक ----- से दे दिया है और यह पटटा
दिनांक ----- तक की अवधि तक वैध रहेगा ।
2. किश्त व किराया की इस अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष किराये के रूप मे प्रथम पक्ष को -----
रु0 प्रति किला के हिसाब से नगद व किश्त के रूप मे प्रदान कर देगा ।
3. यह है कि उक्त अवधि के दौरान सरकारी लगान, पानी एवं बिजली का खर्च प्रथम पक्ष स्वयं वहन
करता रहा है अब भी करेगा । जिसके बारे मे प्रथम पक्ष कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं करेगा ।
4. यह है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त भूमि पर उत्पादित कुल फसल का ----- हिस्सा किश्त
हिस्सा पुलाव भूसा इत्यादि किश्त के रूप मे देता रहा है व दिया जायेगा ।

5. यह है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि पर खेती करने के लिये सभी खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगा । इस अवधि के दौरान किसान की जमीन पर जो ट्यूबबैल है उसका द्वितीय पक्ष प्रयोग करेगा और बिजली का खर्च द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को दे देगा ।
6. यह है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा खेती करने के लिये खेती उम्पदन को बेचने के लिये आवश्यक बीज, खाद, टैक्टर, ट्राली इत्यादी का प्रबन्ध द्वितीय पक्ष के कहने पर प्रथम पक्ष करवाएगा, द्वितीय पक्ष बीज, खाद, टैक्टर, ट्राली इत्यादी का जो भी खर्च होगा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को दे देगा ।
7. यह है कि उक्त अवधि तक प्रथम पक्ष ने किसी भी अन्य व्यक्ति को कृषि या अन्य कार्य करने हेतु भूमि को बटाई, किराये, साझेदारी के रूप में किसी प्रकार का कब्जा ना तो दिया था और ना ही देगा तथा ना ही ऐसा काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर खेती करने में कोई बाधा या आर्थिक हानि हो ।
8. यह है कि उक्त अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को वापिस कर देगा ।
9. यह है कि उक्त अवधि के दौरान भुगतान की रसीद प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को देगा ।
10. यह है कि उक्त अवधि के दौरान प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच कोई विवाद होता है तो पंच फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

अतः यह पटटानामा लिख दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे ताकि समय पर काम आये ।
दिनांक-----

अनुसूचि

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी---- कनाल----- मरला/विघा---- बिस्वा का---- कुल हिस्सा क्षेत्रफल ---- कनाल----मरला/बिघा---- बिस्वा---- वर्ग गज---- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हृदबस्त न0----- तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष -----

साक्षीगण: हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

1.

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

2.